

प्ररूप-2

ग्राम :
ई-मेल :फोन :
फैक्स :

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय

गाजियाबाद

संख्यांक: / 1568 / 12-13

तारीख 6/8/2012

प्रबन्धक,

ग्रीन फील्ड पब्लिक जू0 हा0 स्कूल
गोविन्द पुरम गाजियाबाद

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

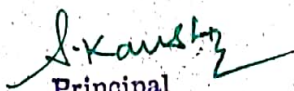
महोदय/महोदया,

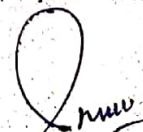
आपके तारीख 5-8-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद को तारीख 1-7-2012 से तारीख 30-6-2015 तक 9-5-2012 को तारीख 1-7-2012 से तारीख 30-6-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।


Principal
Green Field Public School
Govind Puram, Ghaziabad


Manager
Green Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad

5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

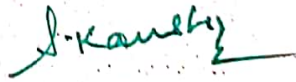
कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

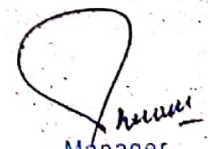
कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-राह-भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय


Principal

Green Field Public School
Govind Puram, Ghaziabad


Manager
Green Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad

पेयजल सुविधा

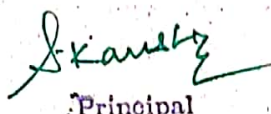
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 00510 रसोई 06 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय


Principal
Green Field Public School
Govind Puram, Ghaziabad

जिला शिक्षा अधिकारी
गोविंदपुरा


Manager
Green Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक

ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल
गोविन्दपुर गाजियाबाद।

पत्रांक/शि0स0/मान्यता/763-64 /2013-14

दिनांक-14/5/03

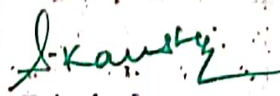
विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल गोविन्दपुर गाजियाबाद को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 05 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 14.05.2013 के प्रस्ताव संख्या 01 में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।



Principal

Green Field Public School
Govind Puram, Ghaziabad



Manager

Green Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad

5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्ष नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा,
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्ष नहीं किया जाएगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और;
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई



Principal

Green Field Public School
Govind Puram, Ghaziabad


Manager

Green-Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 12705 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. रुपये 2000/- का स्थाई कोष स्कूल के नाम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में खुलवाकर छाया प्रति जमा करें।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

प्र0सं0/शि0सं0/

/2013-14 तददिनांक -

प्रतिलिपि-

1. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र
2. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

Principal

Green Field Public School
Govind Puram, GhaziabadManager
Green Field Public School
Govindpuram, Ghaziabad